

# राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

ई.एम.आई. केम्पस, जे-8-बी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राजस्थान)

क्रमांक: आरएसएलडीसी/प्रशा./कोविड/का.आ./ 83253

दिनांक: 15/4/2021

1. समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान।
2. समस्त जिला कौशल समन्वयक, पीएमसीए-GT

**विषय: कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय में बदलाव हेतु।**

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक 14.04.2021 द्वारा जारी किये गये आदेश की अनुपालना में निगम द्वारा क्रियान्वित सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16.04.2021 से आगामी आदेश तक शाम 4.00 बजे तक रहेगा। इस समयावधि में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैचेज का समय एसडीसी को 4.00 बजे बन्द करने के क्रम में पुर्वित (prepone) किया जा सकता है।

सभी प्रशिक्षण प्रदाता राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी की गई/की जाने वाली सभी मार्गदर्शिकाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कौशल समन्वयक समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को तत्काल इस संबंध में अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालना की स्थिति से निगम मुख्यालय को अवगत कराएंगे।



(करतार सिंह)  
महाप्रबंधक (प्रशासन)

क्रमांक: आरएसएलडीसी/प्रशा./कोविड/का.आ./ 83253-259  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 15/4/2021

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, महोदय, आरएसएलडीसी, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी, जयपुर।
3. महाप्रबंधक-I/II/III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, आरएसएलडीसी, जयपुर।
5. उपमहाप्रबंधक-I/III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
6. समस्त प्रबंधक/सहायक प्रबंधक, आरएसएलडीसी, जयपुर।
7. पीएम, पीएमसीए मैसर्स ग्रांड थोरन्टन इण्डिया, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



महाप्रबंधक (प्रशासन)